कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर (राज0)

–:कार्यालय आदेश:–

क्रमांक :– 57 दिनांक :– 17.5.21

माननीय रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र कमांक 08/PI/2021 दिनांक 16.05.2021, एवं परिपत्र कमांक 05/PI/2021 दिनांक 19.04.2021 में दिए गए निर्देशों की पालना में दिनांक 18.05.2021 से 24.05.2021 तक जैसलमेर न्यायक्षेत्र के समस्त विभिन्न न्यायालयों (Subordinate Courts/ Special Courts/ Tribunals) की अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई video conferencing जरिये MicroSoft Teams द्वारा करने हेतु निम्न प्रकार व्यवस्था की जाती है.–

क्र. सं.	न्यायालयों के नाम	आदेशित अधिकारी का पदनाम	अवधि	ई–मेल आई.डी.
01	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर।	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर।	दिनांक 18.05.2021 से 24.05.2021 तक	dc-jai-rj@nic.in
	पारिवारिक न्यायालय, जैसलमेर।			
	विशिष्ट न्यायालय, अनु0जाति व अनु0 जनजाति मामलात न्यायालय, जैसलमेर।			
02	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, जैसलेमर।	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर।	दिनांक 18.05.2021 से 24.05.2021 तक	adj-jai-rj@hcraj.nic.in
	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पोकरण।			
03.	विशेष न्यायधीश, पोक्सो न्यायालय, जैसलमेर।	विशेष न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय, जैसलमेर।	दिनाक 18.05.2021 से 24.05.2021 तक	Pocso-jai-rj@hcraj.nic.in
04.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, जैसलमेर	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।	दिनांक 18.05.2021 से 24.05.2021 तक	cjjm-jai-rj@hcraj.nic.in
05	न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, जैसलमेर			
06	पोकरण मुख्यालय पर स्थित मजिस्ट्रेट स्तर के न्यायालयों में अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई हेतु	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण।	दिनांक 18.05.2021 से 24.05.2021 तक	acjmpok-jai-rj@hcraj.nic.in

1. यह आदेश दिनांक 18.05.2021 से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।
2. जैसलमेर न्यायक्षेत्र के सभी न्यायिक अधिकारियों, विद्वान अधिवक्ताओं एवं न्यायिक परिवार के सभी न्यायिक कर्मचारियों से अनुरोध है कि इस वैश्विक कोरोना वायरस Covid -19 के फैलाव की रोकथाम व बचाव हेतु भारत सरकार, राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं समय–समय पर प्राधिकारियों द्वारा दिये गये सभी दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना करें।
3. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र संख्या 08/PI/2021 दिनांक 16.05.2021 एवं 05/PI/2021 दिनांक 19.04.2021 में दिए गए निर्देशों के बिन्दु संख्या 15 व 16 की पालना मे अधिवक्तागण/पक्षकारान आवश्यक मामले/प्रार्थना पत्र E-filing portal के जरिये भी प्रेषित कर सकते है।

Scanned by CamScanner

4. उपर्युक्त न्यायालयों में मात्र अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 08 / PI / 2021 दिनांक 16.05.2021 एवं 05 / PI / 2021 दिनांक 19.04.2021 में दिए गए निर्देशों के अनुसार विडियो कॉन्फेंसिंग द्वारा की जा सकेगी तथा अधिवक्तागण / पक्षकारान द्वारा उपर्यक्त माध्यम द्वारा की गई फाईलिंग / आवेदन–पत्र व अन्य कार्यवाहियों की हार्डकॉपी उस दिन की तिथि अंकित करते हुये संबंधित न्यायालय में नियमित न्यायालय कार्य शुरू होने के 07 दिन के अन्दर पेश करनी होगी, तभी वह मान्य होगी।

5. समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र संख्या 08 / PI / 2021 दिनांक 16.05.2021 एवं 05 / PI / 2021 दिनांक 19.04.2021 की पालना में अपने–अपने न्यायालय की दिनांक 18.05.2021 से 24.05.2021 तक की आगामी पेशियां नियत करने का आदेश जारी कर अपने अधीनस्थ कार्यरत किसी कर्मचारी को आदेशित करें कि दिनांक 18.05.2021 को ही दिनांक 24.05.2021 तक की समस्त पेशियां सी.आई.एस. पर अपडेट करने की व्यवस्था करावें तथा आगामी पेशियों के आदेश की एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि वेबसाईट पर अपडेट की जा सके।

6. इस कार्यालय के आदेश संख्या 28 दिनांक 18.03.2020 द्वारा गठित कमेटी को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 18.05.2021 से 24.05.2021 तक की अवधि में खुले प्रत्येक न्यायालयों में आवश्यक मास्क, सेनेटाईजर एवं अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें।

7. समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा मात्र उन कार्मिको को ही ड्यूटी हेतु पावन्द किया जावे, जिनकी आवश्यकता हो तथा कार्मिकों को यह निर्देशित किया जावे कि वे कार्यालय में अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर उचित दूरी बनाकर बैठे। शेष कार्मिक अपने घर पर कार्यालय समय में बुलाये जाने पर उपलब्ध रहेंगे एवं कोई भी अधिकारी / कार्मिक बगैर पूर्वानुमति के मुख्यालय परित्याग नहीं करेगा।

8. अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई हेतु रोटेशनल आधार पर ड्यूटी वाले न्यायालय में उस न्यायालय में कार्यरत आशुलिपिक के अतिरिक्त उस न्यायालय के लिंक न्यायालय का आशुलिपिक भी ड्यूटी हेतु उपस्थित रहेगा।

9. अन्य जानकारी के लिए इस कार्यालय की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/jaisalmer एवं ई–मेल आईडी dc-jai-rj@nic.in है।

–sd–
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जैसलमेर।

P.T.O.

Scanned by CamScanner

क्रमांक : स्था./2021/ 1087-1103 दिनांक : 17.05.21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/प्रदत्त कर लेख है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 08/PI/2021 दिनांक 16.05.2021, एवं 05/PI/2021 दिनांक 19.04.2021 की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें:-

1. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, जैसलमेर।
2. विशेष न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय, जैसलमेर।
3. विशिष्ठ न्यायाधीश, एससी/एसटी प्रकरण न्यायालय, जैसलमेर।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर/पोकरण।
5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर।
6. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोकरण।
7. प्रिंसिपल मजि0, किशोर न्याय बोर्ड, जैसलमेर।
8. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,, जैसलमेर।
9. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय सांकड़ा, मुख्यालय-पोकरण।
10. जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर को विभिन्न न्यायालयों द्वारा जारी दिनांक 24.05.2021 तक की तामीलें अदम तामील पुनः संबंधित न्यायालयों में प्रेषित करने हेतु अधीनस्थ संबंधित पुलिस थाना को निर्देशत करें।
11. उप-अधीक्षक, जिला कारागृह, जैसलमेर को प्रेषित कर लेख है कि आवश्यक प्रकृति के मामलों में विचाराधीन बन्दियों को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश करने की व्यवस्था करें।
12. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, जैसलमेर/पोकरण।
13. सिस्टम ऑफिसर, न्यायालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रीडर ग्रेड-I, न्यायालय हाजा।
15. नोटिस बोर्ड, न्यायालय हाजा।
16. कार्यालय प्रति।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जैसलमेर।

Scanned by CamScanner